नागरिकता

Dr.Vini Sharma

नागरिकता

- नागरिक से क्या आशय है?

- नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है उन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं दूसरी और विदेशी नागरिक किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते

नागरिकता का स्वरूप

विभिन्न परिपेक्ष्य से जुड़ी नागरिकता की अनेक परिभाषाए है जनसामान्य में व्याप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों वाले राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के रूप में नागरिकता को माना जाता है। नागरिकता दो तरह की होती ह तटस्थ और सक्रिय

तटस्थ नागरिकता वाले नागरिक अधिकारों एव दायित्वों के निर्माण में क
सक्रिय भूमिका नही निभने के बाद भी उनके हक़दार होते हैं

सक्रिय नागरिकता में समुदायो के राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित

अधिकांश राज्य मताधिकार का एवं विदेशियों को सार्वजनिक कार्यालय बनाने की अनुमति नही देते।

आरम्भ में जो अधिकार केवल सम्पन्न लोगों तक सीमित वे आज हम नागरिकों को अधिकार के रूप में प्राप्त है

प्रजातांत्रिक प्राक्रियाओ में नागरिकता के हित और दायित्वो के प्रति अगुआइ की।

नागरिकता का स्वरूप

केसी राज्य के नागरिकों के पास इतने अधिकार होते हैं जो विदेशियो के
ास नहीं हो सकते।

ाज्य तटस्थ सदस्यता के अंतर्गत सीमित कानूनी अधिकारों को बनाए रखा
 लिए महत्वपूर्ण भुनिक निभाता है
ागरिक का अधिकार सर्वमान्य और अपरिहार्य है
ागरिकता एक विशेष प्रकार की समानता को प्रमाणित करता है

नागरिकता का स्वरूप

राज्य तटस्थ सदस्यता के अंतर्गत सीमित कानूनी अधिकारों को बनाए रख
के लिए महत्वपूर्ण भुनिक निभाता है

नागरिक का अधिकार सर्वमान्य और अपरिहार्य है

नागरिकता एक विशेष प्रकार की समानता को प्रमाणित करता है

नागरिकता का स्वरूप

यह आर्थिक समानताओं तथा सांस्कृतिक मतभेदों को भी स्वीकार कर सकती है परन्तु गुणात्मक असमानताओं को नहीं क्योकि इसमे किसी पुरूष या महिला को उनकी मूल आवश्यकताओं एव दायित्वों के आधार पर अलग अलग स्थान दिया जाता है

नागरिकता तीन प्रकार की होती है :-

(1). सिविल आयाम

(2). राजनितिक आयाम

(3). सामाजिक आयाम

नागरिकता का स्वरूप

सिविल आयाम

इसमे व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, विचार एवं न्यायसंगत व्यवस्था हेतु सघर्ष करने का अधिकार शामिल है व्यक्ति कानून के अंतर्गत दूसरों के साथ समानता के विषय मे अपने दावों की रक्षा करते हुए उन पर अपना अधिकार स्थापित करता है न्यायालय प्रमुख रूप से सिविल अधिकारो से ज़ुड़े हुए है कार्य करने का अधिकार मौलिक
सिविल अधिकार है

नागरिकता का स्वरूप

राजनीतिक आयाम

इसमे राजनीतिक सत्ता में भाग लेना शामिल है जैसे मतदान का अधिकार राजनीतिक विषेशाधिकार राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा एवं समर्थन, न्याय और समानता के पक्षधरो का समर्थन तथा अनुसूचित राजनीतिक व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष आदि।

नागरिकता का स्वरूप

समाजिक आयाम

इनमे आर्थिक कल्याण एवं सुरक्षा, सामाजिक विरासत में भाग ले
तथा समान-विशेष में प्रचलित मानको के आधार पर जीवन जीने क
अधिकार आता है इसके अंतर्गत मनुषय स्वयं एक विशेष जीवन
यापन करने का अधिकारी है

ऐसे

नागरिकता

- संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित विशेष अधिकार प्रदान करता है विदेशियों को नहीं:
- 1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)
- लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मेलन संघ संचरण निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता(अनुच्छेद 19)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 व 30)

नागरिकता

- लोक सभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार
- संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार
- सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल महान्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार

नागरिकता

- लोक सभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार
- संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार
- सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल महान्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार

नागरिकता का अर्जन

- नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें बताता है जैसे जन्म वंशानुगत पंजीकरण प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर

- जन्म से=1) 26 जनवरी 1950-1 जुलाई 1987 के मध्य जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा(भले ही उसके माता-पिता किसी अन्य देश के नागरिक है)
- 2) 1 जुलाई 1987-3 दिसंबर 2004 की मध्य जन्मे व्यक्ति को नागरिकता लेने के लिए आवश्यक है कि उसके माता या पिता मे से कोई एक उस दौरान भारत का

नागरिकता का अर्जन

3) 3 दिसंबर 2004+ = के बाद नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जन्मे बालक के माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हो

नागरिकता का अर्जन

वंश के आधार पर(भारत के बाहर जन्म)

- 1) कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हूं वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो
- 2) 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक
- 3) 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय

नागरिकता का अर्जन

- पंजीकरण द्वारा- केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है(भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए)
- प्राकृतिक रूप से-केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता है
- उसका चरित्र अच्छा हो
- वह संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हूं

नागरिकता का अर्जन

- क्षेत्र समाविष्ट द्वारा
- क्षेत्र समाविष्ट द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं

नागरिकता की समाप्ति

- नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता समाप्ति के तीन कारण बताए गए हैं
- 1) स्वयं त्याग देना –एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता जब वह अपनी नागरिकता को त्याग देता है

Activ
Go to

नागरिकता की समाप्ति

2)बर्खास्तगी के द्वारा-अगर कोई भारतीय नागरिक स्वयं से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद् में व्यस्त हो

3) वंचित करने द्वारा- केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक को आवश्यक रुप से बर्खास्त करना होगा यदि

a) यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो

नागरिकता की समाप्ति

- B) यदि नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताया हो
- C) यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हैं या कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो
- D) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो
- E) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो

मार्क्सवादी नागरिकता

मार्क्सवादी मानते हैं कि वर्ग सम्बंध ही मूल संबंध है
उनके अनुसार पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत सामाजिक सम्बंधो को
नागरिकों के बीच वर्ग सम्बंध के रूप में व्यक्त करता है
मार्क्सवादी द्वारा प्रतिपादित विचारों के आधार पर सामाजिक सम्बंध
वास्तव में वर्ग सम्बंध है जो किसानों व जमीदारों के बी ह तथा
कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच होता है इस प्रकार सन्धवाद एव
पूंजीवाद के बीच रिश्ता है।

मार्क्सवादी नागरिकता

वर्ग संघर्ष पर काबू पाने में तथा सामाजिक सम्बन्धों को पुनः बनाने में राज्य का शिद्धान्तवाद मुख्य भूमिका निभाता है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा समानता बाजार के आदान प्रदान में अलग स्थान रखती है इस व्यवस्था के एजेन्ट स्वतंत्र रूप से अपने उत्पादों का विनिमय करते हैं इस स्थिति में सामाजिक रिश्तों को वर्ग सम्बंध कहते हैं

सार्वजनिक शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन आदि क्षेत्रों के कारण पूंजीवादी समाज मे इस सिद्धांतवाद की महत्ता बनी हुई है

समूह-विभेद नागरिकता।

नागरिकता कानून के तहत लोगों को एक समान अधिकार वाले व्यक्तियों के रूप में माननें का नाम है संपन्न अधिकारों की घोषणा मात्र से कुछ वर्गों को समान अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते समूह विभेद नागरिकता सांस्कृतिक संबंधों की सहायता से नागरिक को महत्वपूर्ण बनाती है। नागरिकता समान अधिकार और मतभेद दोनों के रूप में है विल की मालिका ने कहा है कि ऐसी संस्कृति जो अपने सदस्यों को मानवीय कार्यकलापों के संपूर्ण दायरे में जीवन का अर्थ पूर्ण भाग प्रदान करती है। इसमें सामाजिक शैक्षिक धार्मिक मनोरंजन आत्मक सार्वजनिक और निज दोनों क्षेत्रों को विकसित करने वाला आर्थिक जीवन शामिल है।

समूह-विभेद नागरिकता।

समूह विभिन्न नागरिकता में मूल्य एवं यादगार ओं के अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था भी हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मनुष्यों के विभिन्न क्षेत्रों में एवं दैनिक सामाजिक जीवन में दिखाई देती है। नागरिकता सामाजिक सांस्कृतिक तथा नागरिकों से जुड़ी हुई है। स्वाधीनता का अर्थ समझने में और इसे आगे बढ़ाने में सांस्कृतिक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है यही नहीं इन सब विकल्पों को हमारे लिए वह योगी बनाती है। सामाजिक सांस्कृतिक की पहुंच पर ही लोगों के विकल्प निर्भर करते हैं।

समूह-विभेद नागरिकता।

संस्कृति या जीवन में स्थिरता लिए हुए होती हैं कुछ लोग संस्कृतियों को बदलते रहते हैं परंतु फिर भी अधिकांश लोग इसे अच्छा विकल्प नहीं मानते क्योंकि संस्कृतियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन इनके कारण कोई संस्कृति अपनी मौलिकता को नहीं खो सकती और ना ही विभिन्न संस्कृतियों के पास आने से मनुष्य अपनी संस्कृति को खोता है। संस्कृतियों में स्थिरता के दो कारण होते हैं।

(1). सांस्कृतिक सदस्यता

(2). अपनी पहचान और दूसरों द्वारा मान्यता।

समूह-विभेद नागरिकता।

सास्कृतिक सदस्यता

सांस्कृतिक सदस्यता सार्थक विकल्प उपलब्ध कराती है। यदि किसी संस्कृति का पतन होता है तो उसके सदस्यों को कम विकल्प उपलब्ध होंगे और उसकी जानकारी कम होगी।

समूह-विभेद नागरिकता।

अपनी पहचान आवर दुसरो द्वारा मान्यता :-

अपनी पहचान और दूसरों द्वारा मान्यता संबंधी होने के मापदंड पर निर्भर करती है। यह कोई निजी उपलब्धि नहीं है

विभिन्न प्रतिष्ठानों के माध्यम से संबंधित होते हैं। यदि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों से अलग अलग हो जाए तो उनमें लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक हो जाती है सामाजिक संस्कृतिक अनेक विचारधाराओं संस्कृतियों से मिलकर बनी है।

समूह-विभेद नागरिकता।

इसी कारण यह एकरूप नहीं है। लोग सामाजिक सांस्कृतिक को बनाने वा विभिन्न विचार धाराएं एवं संस्कृतियों के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक तक पहुंच जाते हैं। नागरिकता एवं नागरिक सांस्कृतिक सदस्य दों के बीच निम्नलिखित दो प्रकार के संबंध होते हैं।

(1). सहज गुण स्वरूप में नागरिकता

(2). नागरिकता समूह विभेद पहचान।

Q. उदारवादी लोकतंत्र तथा नागरिकता से उसके संबंध पर चर्चा क

उदारवादी लोकतंत्र समाज की शिक्षा और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों की वि
अपने नागरिकों को स्वतंत्र और सम्मान व्यक्तियों के रूप में परिभाषित
करती है। जो प्रसंग बस किसी विशेष प्रजाति वर्ग और धर्म समुदाय के
सदस्य होते हैं। नागरिकता का यह बोध आदर्श युक्त है नागरिकों के स्व
को गंभीरता से नहीं लेता लेकिन उदारवादी लोकतंत्र में लोक सिक्षा अ
तक विशेष रूप वाले सांस्कृतिक समुदाय द्वारा उत्पन्न सापेक्ष आवाज
प्रभावित हुई है। उनका सुझाव है

). उदारवादी लोकतंत्र तथा नागरिकता से उसके संबंध पर चर्चा करें

के नागरिक की पहचान सिद्धांतों और मूल्यों से नियंत्रित नहीं होनी चाहिए नागरिक शिक्षा नागरिकता के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इसके द्वारा आदर्श दृष्टिकोण नागरिकों के लिए उपयुक्त अधिकार एवं मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया गया शिक्षा से विशिष्ट समय स्टोर का उदय हुआ है नगर संस्कृति से उदारवादी लोकतंत्र सफला फूला है। इसने विश्वस्तरीय दृष्टिकोण जीवन जीने के तरीके जैसे मानकों को प्रस्तुत किया यह सभी मानवीय व्यवहारों को दिशा देते हैं।

नागरिक जीवन के लिए उपयुक्त मापदंडों को नागरिक द्वारा नगर संस्कृति के साथ अपनाए जाने की आशा है। नगर संस्कृति के पास कुछ संसाधन होते हैं जिनके उत्पादन बहुवा सीमाओं के भीतर रहता है। किसी समाज के सदस्यों का स्वभाव उन विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय के नैतिक मानकों द्वारा बनता है जो नगर संस्कृति में एक मजबूत किलेबंदी की क्षमता रखते हैं नगर संस्कृति व तंत्र समान दृष्टिकोण के आधार पर अपने सदस्यों के समक्ष एक नैतिक नागरिक आदर्श प्रस्तुत करती है। समाज का प्रभाव जन्म से ही प्रकट होता है परंतु शिक्षण प्रक्रिया का प्रभाव विलंब से होता है।